

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 4/2025

तारीख दायर-12/02/2025

तारीख निर्णय-27.02.2026

1. श्रीमती देवली पुत्री मोहनलाल कलाल (पत्नी स्व० श्री भंवरलाल चौधरी कलाल) निवासी लसाडिया जिला सलूमबर (राज.) हाल निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)

.....वादीया

बनाम

1. श्री लक्ष्मण पुत्र रायचन्द कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
2. श्री वरदीचन्द पुत्र रायचन्द कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
3. श्री भेरूलाल पुत्र प्रभुलाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
4. जमना पुत्री चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
5. भागुबाई पुत्री चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
6. शान्ताबाई पुत्री चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
7. इन्दुबाला पुत्री चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
8. अन्हाबाई पुत्री चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
9. भगवतीलाल पुत्र चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
10. लालचन्द पुत्र चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
11. प्रेम पुत्री गणेशलाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
12. सोसर पुत्री गणेशलाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
13. शान्तिलाल पुत्र गणेशलाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
14. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलूमबर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री मुकेश चौबिसा

प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा

निर्णय



उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा लसाडिया पटवार मण्डल लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 461 व पुराना 407 में वर्णित आराजी नम्बर 1611/10 रकबा 0.4536 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1611/13 रकबा 2.6244 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2161 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2171 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2276 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2277 रकबा 0.1080 हैक्टेयर आराजी नम्बर 2516 रकबा 0.0864 , आराजी नम्बर 2565 रकबा 0.0972 कुल कित्ता 08 कुल रकबा 3.5964 हैक्टेयर भूमि स्थित है। एवं मौजा लिफाफा पटवार मण्डल ओवरा भू.अ.निरीक्षक देवलीया के खाता संख्या 36 (नया) 36 (पुराना) में वर्णित आराजीयात 25 रकबा 0.0216 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 26 रकबा 0.4212 हैक्टेयर, , आराजी नम्बर 27 रकबा 0.3780 हैक्टेयर, , आराजी नम्बर 28 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, , आराजी नम्बर 29 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, , आराजी नम्बर 30/5 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, कुल कित्ता 06 कुल रकबा 1.2312 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

उक्त आराजियात भूमि पर वादीया एवं प्रतिवादीगणों की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीया एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादीया द्वारा प्रतिवादीगणों को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादीया को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादीया एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादीगणों का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।


प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणों द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगणों का जवाब बन्द किया गया व वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाती करने एवं एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादीगणों एवं प्रतिवादीगणों वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगणों का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।


उपरोक्त आधिकारी
लसाडिया जिला सलम्बर (राज.)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। मौजा लसाडिया पटवार मण्डल लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 461 व पुराना 407 में वर्णित आराजी नम्बर 1611/10 रकबा 0.4536 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1611/13 रकबा 2.6244 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2161 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2171 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2276 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2277 रकबा 0.1080 हैक्टेयर आराजी नम्बर 2516 रकबा 0.0864 , आराजी नम्बर 2565 रकबा 0.0972 कुल किता 08 कुल रकबा 3.5964 हैक्टेयर भूमि स्थित है। एवं मौजा लिफाफा पटवार मण्डल ओवरा भू.अ.निरीक्षक देवलीया के खाता संख्या 36 (नया) 36 (पुराना) में वर्णित आराजीयात 25 रकबा 0.0216 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 26 रकबा 0.4212 हैक्टेयर, , आराजी नम्बर 27 रकबा 0.3780 हैक्टेयर, , आराजी नम्बर 28 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, , आराजी नम्बर 29 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, , आराजी नम्बर 30/5 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, कुल किता 06 कुल रकबा 1.2312 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला : (राज.)

वाद डिक्री

1. श्रीमती देवली पुत्री मोहनलाल कलाल (पत्नी स्व० श्री भंवरलाल चौधरी कलाल) निवासी लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.) हाल निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

.....वादीया

बनाम

1. श्री लक्ष्मण पुत्र रायचन्द कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
2. श्री वरदीचन्द पुत्र रायचन्द कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
3. श्री भेरूलाल पुत्र प्रभुलाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
4. जमना पुत्री चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
5. भागुबाई पुत्री चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
6. शान्ताबाई पुत्री चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
7. इन्दुबाला पुत्री चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
8. अन्हाबाई पुत्री चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
9. भगवतीलाल पुत्र चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
10. लालचन्द पुत्र चम्पालाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
11. प्रेम पुत्री गणेशलाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
12. सोसर पुत्री गणेशलाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
13. शान्तिलाल पुत्र गणेशलाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
14. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलूम्वर।

.....प्रतिवादीगण



उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलूम्वर (राज.)

वादा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट
उपरिस्थित- वादी की ओर से- श्री मुकेश चौबिसा
प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा

डिक्री

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 27.02.2026. को प्रस्तुत होने पर वादीगणों का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा लसाडिया पटवार मण्डल लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 461 व पुराना 407 में वर्णित आराजी नम्बर 1611/10 रकबा 0.4536 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1611/13 रकबा 2.6244 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2161 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2171 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2276 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2277 रकबा 0.1080 हैक्टेयर आराजी नम्बर 2516 रकबा 0.0864 , आराजी नम्बर 2565 रकबा 0.0972 कुल कित्ता 08 कुल रकबा 3.5964 हैक्टेयर भूमि स्थित है। एवं मौजा लिफाफा पटवार मण्डल ओवरा भू.अ.निरीक्षक देवलीया के खाता संख्या 36 (नया) 36 (पुराना) में वर्णित आराजीयात 25 रकबा 0.0216 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 26 रकबा 0.4212 हैक्टेयर, , आराजी नम्बर 27 रकबा 0.3780 हैक्टेयर, , आराजी नम्बर 28 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, , आराजी नम्बर 29 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, , आराजी नम्बर 30/5 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, कुल कित्ता 06 कुल रकबा 1.2312 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की दोनो पक्षकारो के मध्य बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।




उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)